महत्वपूर्ण एवं खास

लोगों को क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचाने संयुक्त कलेक्टर सुमित नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रवासी श्रमिकों, व्यक्तियों, यात्रियों के ट्रेन एवं बस के माध्यमों से रायगढ़ जिले में आगमन के दौरान उनको अपने निगरानी में बस के माध्यम से क्वारेंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिये संयुक्त कलेक्टर रायगढ़ सुमित अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही संयुक्त कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ श्रीमती रूचिका अग्रवाल, राजस्व निरीक्षक सुरेश पटेल एवं पटवारी मनहरन देवांगन ड्यूटी पर रहेंगे। इसी तरह दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ सुश्री श्रुति शर्मा, राजस्व निरीक्षक नूतन पैंकरा एवं पटवारी विनय त्रिपाठी तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नायब तहसीलदार रायगढ़ आयुष तिवारी, राजस्व निरीक्षक योगेश पटेल एवं पटवारी तिहारू राम सारथी की ड्यूटी लगाई गई है।

पीडीएस दुकानों को 16 से 22 अप्रैल तक प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक संचालन की मिली अनुमति

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/रोकथाम एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये 16 से 22 अप्रैल 2021 तक शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सशर्त शर्तों के साथ संचालन के लिये अनुमति दी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को 16 से 22 अप्रैल 2021 तक प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हितग्राहियों को टोकन जारी कर खाद्यान्न सामग्री वितरण करने की अनुमति होगी। सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के बाहर सोशन डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने हेतु दो गज की दूरी पर घेरा बनाकर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को वितरण के पूर्व शा.उ.मू.दुकान के संचालक द्वारा टोकन जारी किया जायेगा। तत्पश्चात ही खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा ताकि दुकान में अनावश्यक भीड़ न हो। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक के द्वारा दुकान के बाहर सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न लेने आने वाले हितग्राही को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 19 में कंट्रोल रूम स्थापित

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में कलेक्टोरेट भवन रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 19 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07762-222550 एवं 223750 है। उक्त कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। दूरभाष से प्राप्त सूचना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिकारी-कर्मचारियों की रोस्टर अनुरूप अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त ड्यूटी लगाई गई है। प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मत्स्य निरीक्षक सुश्री तामेश्वरी पाटिल, आदिवासी विकास विभाग के सहायक ग्रेड-3 एकनाथ यादव एवं कृषि विभाग के सहायक ग्रेड-2 बुंदेल सिंह सिदार की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक हाथ करघा विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक ज्योति शंकर थवाईत, लोक निर्माण विभाग के सहायक ग्रेड-3 आनंद बरेठ एवं अनिरूद भट्ठ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक गृह निर्माण मंडल के उपयंत्री विनोद सिंह राठौर, आदिवासी विकास विभाग के सहायक ग्रेड-2 दुष्यंत चौधरी एवं कृषि विभाग के सहायक ग्रेड-3 सुनील प्रधान की ड्यूटी लगाई गई है।

नाश्ता, खाना एवं अन्य सामग्री वितरण के लिये कोविड हॉस्पिटल में अधिकारियों की लगी ड्यूटी

रायगढ़ । कोरोना मरीजों के उपचार हेतु एमसीएच, मेडिकल कालेज एवं किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी कालेज, गढ़उमरिया को कोविड़ हॉस्पिटल बनाया गया है। कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को प्रतिदिन दिये जाने वाले नाश्ता, खाना एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच एवं निर्धारित समय पर भोजन मरीजों तक पहुंच सके इसके पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्रीमती सुधा चौधरी एवं खाद्य निरीक्षक राजन कश्यप प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक नाश्ता का पर्यवेक्षण एवं सभी मरीजों तक वितरण सभी केन्द्रों पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

दूसरे राज्य से आने वालों को जाना होगा क्वारेंटीन सेंटर

ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाने सभी एसडीएम, सीईओ, सीएमओ को दिए कलेक्टर सिंह ने निर्देश

रायगढ । ट्रेन व सड़क मार्ग से दूसरे राज्य से जिले में पहुंचने वालों को क्वारेंटीन सेंटर में रहना होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर स्थापित करने के निर्देश कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम, जनपद सीईओ व सीएमओ को दिए हैं।

कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 रोकथाम, नियंत्रण, इलाज की व्यवस्था और वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान शासन के निर्देशानुसार दूसरे राज्य से जिले में ट्रेन व सड़क माध्यम से पहुंचने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोविड-19 जांच करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने या फिर होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है उन्हें 7 दिनों तक क्वारेंटीन सेंटर में रहना

होगा। इसके लिए कलेक्टर सिंह ने शहर, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाने के निर्देश सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकाय सीएमओ को दिए गए। दूसरे राज्य से आने वालों को संबंधित ग्राम पंचायत तक छोड़ने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने ज्वाइंट कलेक्टर सुमित अग्रवाल को निर्देशित किया गया। इस दौरान क्वारेंटीन सेंटर में पानी, लाइट, भोजन, गद्दे एवं लोगों के रहने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में कलेक्टर सिंह ने कोविड-19 की इलाज को लेकर जिले के अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या पर चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि एमसीएच, मेडिकल कॉलेज, केआईटी, जिंदल हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, बालाजी, मेट्रो, जेएमजे मॉर्निंग, राजप्रिय हॉस्पिटल, सिद्धेश्वर नेत्रालय, राधा कृष्णा केयर, शिव हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और लोकेश हॉस्पिटल इन सभी में कोविड मरीजों के इलाज के लिए कुल 1534 बेड वर्तमान में उपलब्ध है। इसमें 56 बेड आईसीयू और 404 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, बाकी 1074 सामान्य बेड है, जहां आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजनेटेड बेड बनाया जा सकता है। कलेक्टर भीम सिंह ने रेमडेसीविर की उपलब्धता की भी समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने ड्रग इंस्पेक्टर और सीजीएमएससी के अधिकारियों को मांग के अनुरूप प्राइवेट एवं निजी अस्पतालों में रेमडेसीविर सप्लाई कराने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेमडेसीविर इंजेक्शन की शॉर्टेज को देखते हुए कलेक्टर सिंह ने पूर्ण एनालाइज कर ही आवश्यकता के अनुरूप मरीजों को रेमडेसीविर इंजेक्शन लगाने की बात कही। इसी तरह सभी अस्पतालों प्रबंधकों से कोविड-19 इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कलेक्टर सिंह ने कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल, कोविड नोडल अधिकारी डॉ.योगेश पटेल, डॉ.भानु सहित निजी अस्पताल प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ब्लॉक, तहसील और नगरीय निकाय के अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुये।

एकल व कलस्टर में करना होगा कंटेनमेंट घोषित- कलेक्टर भीम सिंह ने सभी एसडीएम को कहा कि कहा कि यदि एक घर में पॉजीटिव मरीज आता है तो केवल उसी घर को एकल कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। इसी तरह यदि मोहल्ले में कई घरों या पॉजीटिव की संख्या पांच है तो कलस्टर कंटेनमेंट जोन घोषित करना है। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि कोविड-19 की संख्या 5 या फिर उससे कम के आधार पर एकल या कलस्टर कंटेनमेंट जोन घोषित करना होगा।

कबीर चौक में होगी कोरोना जांच शुरू- बैठक के दौरान कोविड जांच केन्द्रों में इन दिनों जांच कराने वालों की भीड़ लगने की बात सामने आई। इसी तरह ओवर ब्रिज के आसपास एक भी जांच केन्द्र नहीं होने की बात कही गई। इस पर कलेक्टर सिंह ने एमपीडब्ल्यू स्टाफ की व्यवस्था कर कबीर चौक में जल्द कोविड जांच सेंटर स्थापित करने के निर्देश सीएमएचओ डॉ. एस.एन. केशरी को दिए।

डाक्टर व अन्य स्टाफ की भर्ती जल्द करें- बैठक के दौरान कोविड मरीजों के इलाज व जांच के लिए पर्याप्त स्टाफ व संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने इंटर्नशीप पूर्ण करने वाले मेडिकल कालेज के डाक्टरों को बांड पर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश मेडिकल कालेज के डीन को दिए। इसी तरह एमपीडब्ल्यू, टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स के पद जो कोविड को देखते हुए डीएमएफ और एनआरएचएम से स्वीकृत है उसकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर सिंह ने सीएमएचओ को दिए।

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, मामला दर्ज

रायगढ़। 14 अप्रैल को थाना तमनार में रिपोर्टकर्ता आरती चौहान पिता परमानंद चौहान उम्र 25 वर्ष साकिन मडवाडूमर थाना तमनार द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट में चेकर पोस्ट में सेलेक्ट होना बता कर 72,100 रूपये की ठगी किये जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता बताई कि दिनांक 03.03.2021 को अज्ञात व्यक्ति काल कर बोला कि इसे आथोरिटी आफ इंडीया की तरफ से बिलासपुर एयरपोर्ट में चेकर पोस्ट के लिये सलेक्ट कर लिया गया हैं जिसके लिये रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अज्ञात व्यक्ति ऐस बैंक का एकाउंट नंबर में रजिस्ट्रेशन फी 2,600 रू जमा करने को कहने पर जमा की, उसके बाद दो अलग-अलग मोबाईल नम्बर से काल आया और कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ड्रेसेस आदि के लिये 15,000 रू देने होंगे। तब 8000 रूपये रिर्पोटकर्ता उनके खाता में जमा की। अगले दिन आपका सामान तैयार है, अधिकारियों का सील, साईन बाकी हैं जिसके लिये लेट फीस सहित 26500रू पेड करना होगा बोले उनकी बातों में आकर आईसीआईसीआई बैंक के एकाउंट में रूपये जमा कराई , पुनः कॉल कर सैलेरी चार्ज , पास बुक के लिये 20 हजार की मांग किये तो 20 हजार रूपये जमा की। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ज्वाइनिंग लेटर आप के घर पहुंच जायेगा बोले और इसके मोबाईल पर एक फर्जी ज्वाईनिंग लेटर व्हासअप किये। इस तरह रिपोर्टकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 72100 रूपयों की ठगी कर लिये।

खरसिया, भूपदेवपुर और किरोड़ीमल में लॉकडाउन की व्यवस्था देखने पहुंचे एसपी

रायगढ़/खरसिया । लॉकडाउन के पहले दिन जिला मुख्यालय में पुलिस व्यवस्था की जांच कर लॉकडाउन के दूसरे दिन एसपी संतोष सिंह खरसिया शहर, भूपदेवपुर एवं किरोडीमलनगर क्षेत्र में लगाई गई पुलिस व्यवस्था को देखे और ड्यूटी में तैनात जवानों को प्रोत्साहित कर गंभीरतापूर्वक ड्यूटी करने निर्देशित किये हैं।

पुलिस अधीक्षक रायगढ़ आज सुबह रायगढ़ और जांजगीर जिला के बार्डर पर बने पलगड़ा चेकपोस्ट पहुंचे, उनके साथ एसडीओपी खरसिया पितांबर पटेल, चौकी प्रभारी खरसिया थे। चेकपोस्ट में राजस्व विभाग और खरसिया पुलिस स्टाफ मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा बेरियर में लगे स्टाफ को इंटर डिस्ट्रक चेकपोस्ट की ड्यूटी महत्वपूर्ण है, मास्क लगाकर डिस्टेंस बनाकर आने-जाने वालों को परिचय

प्राप्त कर गंभीरतापूर्वक ड्यूटी करने निर्देशित किये, जिसके बाद पूरे खरसिया शहर में लगे पुलिस चेक पांइट जाकर जवानों को प्रोत्साहित किये। उनके भ्रमण दौरान पूरे क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य लोगों की आवाजाही बंद थी, इस दौरान कई लोगों से स्वयं बाहर निकलने का कारण जाने। खरसिया क्षेत्र में पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था देख एसडीओपी खरसिया को इसी प्रकार आगे भी व्यवस्था बनाए रखने तथा संक्रमण की चैन को तोड़ने खरसिया क्षेत्र में किसी भी आम व खास को थोड़ी भी ठील नहीं देने निर्देशित किया गया। उनके द्वारा जवानों को मेडिकल व अन्य जरूरी सेवाओं के लिये बाहर निकले लोगों की पूरी मदद करने एवं स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ड्यूटी करने को कहा गया। खरसिया के बाद पुलिस अधीक्षक भूपदेवपुर थानाक्षेत्र की व्यवस्था देखने पहुंचे। जहां उनके द्वारा भूपदेवपुर पुलिस द्वारा बनाये गये चेक पाइंट को जाकर चेक किया गया। उनके द्वारा थाना प्रभारी भूपदेवपुर को थानाक्षेत्र के प्लांटों में नियमित रूप से बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जांच करने के निर्देश दिये। भूपदेवपुर के बाद नगर पंचायत किरोडीमलनगर की व्यवस्था देखे, जहां ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को बहाना बनाकर बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारियों को उनके क्षेत्र में जरूरतमंदों की भोजन आदि में पूरी मदद का निर्देश दिए और उन्हें जरूरतमंदों की मदद के लिये बनाये गये पुलिस हेल्प डेस्क में सहयोग करने वालों से आवश्यक सामाग्रियां प्राप्त कर उन्हें जरूरतमंदों में वितरण के निर्देश दिये हैं।

कोरोना बचाव के लिए वैक्सीनेशन है जरूरी: कलेक्टर

» स्वयं भी टीके लगवाये और दूसरों को भी करें प्रेरित

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज अपने कक्ष में मुस्लिम समाज के पदाधिकारी सदर से बात की। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के मन में भ्रम की स्थिति थी कि अभी रमजान का महीना चल रहा है ऐसे में टीका लगाना चाहिये की ? कलेक्टर सिंह ने कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें सकारात्मकता का माहौल अपने घर, परिवार, आस-पड़ोस एवं शहर में फैलाना होगा। उन्होंने समाज के सभी सदर से कहा कि कोविड टीकाकरण से कोई खतरा नहीं है। आप सभी कोरोना का टीका अवश्य लगवायें और जिनको भी टीके नहीं लगे है उन्हें टीके लगवाने के जागरूक करें।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान में जिले में 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले सभी लोगों को टीका लगाना आवश्यक है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने वैक्सीनेशन कारगर साबित हो रहा है। वैक्सीनेशन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके का दोनों डोज लेने के बाद शरीर में करीब 81 प्रतिशत तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है यह रिसर्च में सामने आया है। जिले में अब तक 45 वर्ष उम्र से अधिक लगभग 94 प्रतिशत लोगों को कोरोना टीका लग चुका है। वर्तमान में जो परिणाम आ रहे हैं उसमें 50 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत कम है। इसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के कारण ही जिले में वर्तमान में उम्रदराज लोगों की कोरोना पॉजिटिव संख्या कम हुई है।इस मौके पर मस्जिद गरीब नवाज कमेटी मधुबन पारा रायगढ़ के सदर शेख कलीमुल्लाह, जामा मस्जिद ट्रस्ट रायगढ़ के सदर मोहम्मद आवेश, नूरी मस्जिद ट्रस्ट रायगढ़ के सदर अब्दुल रहीम, मक्का मस्जिद ट्रस्ट जूटमिल रायगढ़ के सदर मोहम्मद वसीम, मोहम्मदी जामा मस्जिद रियापारा के सदर मोहम्मद फजल अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ खान, सामाजिक कार्यकर्ता शेख ताजीम एवं कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पेटीएम गेट-वे ने वापस किए ठगी के 4.69 लाख

» रिटायर्ड एएसआई हुआ था ऑनलाइन ठगी का शिकार, मामले में तीन आरोपी किए जा चुके हैं चालान

रायगढ़। एसपी संतोष सिंह की पहल पर ठगी का शिकार हुये रिटायर्ड एएसआई के बैंक खाता में 4.69 लाख रूपये पेमेंट गेट वे पेटीएम द्वारा वापस कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार पिछले साल माह सितम्बर 2020 को रिटायर्ड एएसआई फकीर चंद सिदार को अज्ञात कॉलर द्वारा पेंशन के संबंध में जानकारी देने का झांसा देकर उनसे ए.टी.एम. कार्ड का नम्बर पूछकर दिनांक 02 एवं 03-09-20 को 6 लाख 44 हजार रूपये तथा उनकी पत्नी के खाते से 3,78,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया था, पत्नी का बैंक खाता ज्वाइंट एकाउंट था। इस प्रकार एएसआई फकीरचंद सिदार से कुल 10,22,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। घटना के संबंध में थाना पुसौर में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अप.क्र. 158/2020 धारा 420 भादंवि के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया था । पुसौर पुलिस एवं सायबर सेल संदिग्धों के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड/ सीडीआर, एनालिसिस कर झारखंड से संदेही खिरोधर महतो उर्फ मिथुन पिता महरु महतो उम्र 22 वर्ष, श्रवण कर्मकार पिता झगरू कर्मकार 28 वर्ष एवं अपचारी बालक सभी निवासी ग्राम ठाकुरचक थाना निनियाघट जिला गिरिडीह झारखंड को पूछताछ कर रायगढ़ लाया गया। आरोपियों द्वारा प्रात कबूल कर इनके गिरोह का मुखिया आरोपी लक्ष्मण मंडल को बताये जो गिरफ्तारी के भय से लगातार लुकछिप रहा है। पुसौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों का चालान न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है।

अपराध कायमी के बाद से पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा सायबर सेल को अज्ञात आरोपियों द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जितने पेमेंट गेट-वे का उपयोग कर रूपये प्राप्त किये हैं, उन्हें होल्ड कराने तथा फाल्स ट्रांजेक्शन होने का लेटर सभी गेट-वे को लिखकर रूपये वापस करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। सायबर सेल द्वारा पुलिस अधीक्षक की ओर से बैंक व पेमेंट गेट को लेटर ई-मेल किया गया। पेमेंट गेट-वे पेटीएम द्वारा एफआईआर व पुलिस जांच के आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई जिसे सायबर सेल द्वारा उपलबध कराया गया, अपनी पूरी जांच के बाद पेटीएम गेट-वे द्वारा भी ट्रांजेक्शन को फाल्स पाए और फरवरी 2021 को पीड़ित एएसआई के खाते में उस गेट-वे से ट्रांजेक्शन हुये 4,69,000 रूपये वापस कर दिया गया है। अन्य गेट-वे अपनी जांच प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। रिटायर्ड एएसआई फकीरचंद सिदार ने बताया कि उनको खाते में रूपये आने का मैसेज नहीं आया था तो जानकारी नहीं हुई।

मां स्वस्थ्य होकर घर लौटी जबकि लापरवाही से बेटे की गई जान

» लक्षण होने के बाद भी बेटे नहीं कराया कोरोना जांच

» गंभीर होने पर अस्पताल में हुआ भर्ती और हो गई मौत

रायगढ़। कोरोना के लक्षण होने पर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका जीता-जागता परिणाम जिले में देखने को मिला है। कोरोना के लक्षण होने पर मां अस्पताल में भर्ती होकर अस्पताल से स्वस्थ्य होकर घर लौटी, लेकिन वहीं उसके 37 वर्षीय पुत्र ने कोविड-19 लक्षण होने के बाद इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर अस्पताल पहुंचा। जहां इलाज के दौरान अंततः उसने दम तोड़ दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी अनुसार पुसौर ब्लाक के ग्राम झलमला निवासी एक 70 वर्षीय महिला को बुखार के साथ सांस लेने में कुछ परेशानी थी। इस पर महिला ने समय रहते कोरोना टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट में महिला कोविड पॉजिटीव मिली। इस दौरान महिला में 60 प्रतिशत ऑक्सीजन सेचुरेशन था। इस पर महिला मेट्रो अस्पताल में भर्ती हो गई। इस दौरान उसके 37 वर्षीय पुत्र को भी बुखार होने की शिकायत थी। घर के सदस्यों और उसकी मां ने भी उसे कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी। लेकिन वह गांव के ही किसी झोला छाप डाक्टर से परामर्श लेकर दवाई खाता रहा। चार दिनों बाद अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। इस पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया। युवक में कोरोना के पूरे लक्षण थे। इस पर युवक की कोविड जांच की गई, जो पॉजीटिव आई। एक्स-रे आदि जांच में युवक की स्थिति बहुत गंभीर निकली। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन देकर युवक का इलाज शुरू किया। लेकिन उसने दूसरे दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

इस तरह लापरवाही नहीं बरतते हुए समय पर जांच व इलाज कराने पर मां 6 दिनों में स्वस्थ्य होकर घर वापस लौट आई, जबकि सही समय पर कोरोना जांच नहीं कराने और लापरवाही बरतने पर पुत्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के कोविड के नोडल आफिसर डॉ. वेद प्रकाश गिल्हे ने बताया कि वर्तमान में जो कोविड-19 के केस आ रहे हैं। उनमें वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक है। पूर्व में मरीज 8 से 10 दिनों गंभीर होता था। लेकिन वर्तमान में दो-तीन दिनों में ही मरीजों की स्थिति गंभीर हो रही और सही समय पर जांच और उपचार नही कराने पर उनकी मृत्यु हो रही है। वर्तमान में जो भी कोविड 19 के केस आ रहे हैं उनमें वायरस की फैलने की क्षमता बहुत तेज है। मरीज को लक्षण आने के एक-दो दिनों में ही फेफड़ों को गंभीर रूप से संक्रमित करने की बाते सामने आ रही है। यही वजह है कि वर्तमान में जो भी कोविड-19 के मरीज आ रहे हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही है और अधिकांश मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में तेज बुखार, खांसी, सर्दी, कमजोरी, उल्टी, दस्त आदि लक्षण होने पर बिना देरी किए लोगों को कोविड-19 टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर समय पर इलाज शुरू होने पर ही मरीजों की जान बचाई जा सकती है।

ऑक्सीजन लेवल 6 मिनट चलाकर लेना कारगर- कोविड नोडल आफिसर डॉ.वेद प्रकाश गिल्हे ने बताया कि वर्तमान में जो मरीज आ रहे हैं। ऐसे मरीजों के शरीर से ऑक्सीजन लेवल का तुरंत उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में कई मरीज ऐसे मिले जिनका ऑक्सीमीटर से शरीर पर ऑक्सीजन की मात्रा लेने पर 90 से 94 प्रतिशत अंकित किया गया, लेकिन आधे एक घंटे के समय अंतराल में ही मरीज के ऑक्सीजन लेवल में 10 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 6 मिनट चलाकर लेना दोबारा लेने की आवश्यकता है। डॉ.गिल्हे ने बताया कि पहली जांच में ऑक्सीजन मात्रा 90 है तो ऐसे मरीजों को 6 मिनट तक चलाकर दुबारा ऑक्सीजन लेवल जांच करनी चाहिए। यदि चलाने के बाद ली गई जांच में 4 प्रतिशत गिरावट नहीं आती है, तो मरीज की स्थिति सामान्य मानी जा सकती है। इसके विपरित यदि 6 मिनट चलने के बाद मरीज के ऑक्सीजन लेवल में 4 से 6 प्रतिशत या अधिक की गिरावट आती है तो इसे चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन देने के साथ फेफड़े की एक्स-रे जांच करने के साथ इलाज शुरू कर देना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480